

19/11/2019

18/11/19



पत्रावली पेश हुई। मधिवक्ता उमरपट्ट उय.।
 मधिवक्ता उमरपट्ट की वेदिका पर मन्त्र
 विधि मन्त्र करने के पश्चात् न्यायालय
 का निष्कर्ष है कि मधिवक्ता की गलती
 का दण्ड पत्रकारिता को देना न्यायोचित
 नहीं है प्रकरण को 23/11/2019 पर

हुकम
में जारी
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

युक्त निकाय करना लायनी है
महि उक्त को गुणावगुण पर युक्त
निकाय नहीं किया जाता है तो उपरोक्त
ज्यादा प्राप्त करने के वंशित रहे जायेंगे।
विशेष अपील का आवेदन मन्तव्य
आदेश प्राप्ति 13 सप्टि धारा 134PC
इस निदेश के मान लीका किया
जाता है कि अपीलवाण मामले को
अवाशिय निकाय रहे पेसी को
अपील पुनः पुनः नाल पर दर्ज
हो। पत्रावली के लिये शुभार नाल
के कर्म होकर बाद वन्मेष दक्षिण
दफ्तर हो। आदेश सेर इजलास
सुनाया गया।



दिनांक
13/11/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर